

न्यायालय उप जिला कलेक्टर हि

दिनांक


फर्द अहकाम

११.०३.१८
(२२.२.१८)

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थना पत्र पत्रावली का
अवलोकन किया गया। उपपत्र व कुलपति की
बहस पर मंगल को पश्चात मुलाक़िद आदेशों
दिनांक १७.११.१६ दावा व कुलपति फरिद को
अनुपस्थित होने से खारिज किया गया था।

अतः प्रस्तुत आवेदन आदेश-१ नियम-४ के
अनुसार दित में आवेदन रैस्टोरेशन स्वीकार किया
जाता है। प्रार्थना पत्र कैसल सुधार होकर नम्बर
सहित किया जावे। हमपिता दावा पत्रावली को
दावा पत्रावली पुनः नम्बर पर ली जाकर
पूर्वानुसार आगामी कार्रवाई की जावे। दिनांक
२३/३/१८ को पेश है।

प्रार्थना पत्र बाद तत्काल कारिबल दफ्तर
किया जावे।


उपखण्ड अधिकारी
(एस०डी०एम०) हिण्डौन

